पंचायत निगरानी याचिकाएँ उनवान विकास अधिकारी प.स. बाली बनाम सरपंच ग्राम पंचायत गुड़ालास व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर,बाली जिला पाली राज.

पीठासीन अधिकारी : शैलेन्द्र सिंह आर.ए.एस.

1.

पंचायत निगरानी संख्या नये नम्बर	पंचायत निगरानी संख्या गत नम्बर
पंचायत निगरानी संख्या : 116 / 2024	पंचायत निगरानी संख्या : 36 / 2022
जी.सी.एम.एस. नम्बर : 2024 / 130	जी.सी.एम.एस. नम्बर : 2022 / 66

अनवान

प्रार्थी	अप्रार्थीगण
विकास अधिकारी बाली	1. सरपंच ग्राम पंचायत गुड़ालास 2. भानुशंकर पुत्र श्री डायाजी जाति रावल ब्राह्मण निवासी रमणीया ग्राम पंचायत गुड़ालास तहसील बाली जिला पाली राज.

2.

पंचायत निगरानी संख्या नये नम्बर	पंचायत निगरानी संख्या गत नम्बर
पंचायत निगरानी संख्या : 118 / 2024	पंचायत निगरानी संख्या : 38 / 2022
जी.सी.एम.एस. नम्बर : 2024 / 132	जी.सी.एम.एस. नम्बर : 2022 / 68

अनवान

प्रार्थी	अप्रार्थीगण
विकास अधिकारी बाली	1. सरपंच ग्राम पंचायत गुड़ालास 2. उम्मेदमल पुत्र श्री सरदारमलजी जाति रावल ब्राह्मण निवासी रमणीया ग्राम पंचायत गुड़ालास तहसील बाली जिला पाली राज.

3.

पंचायत निगरानी संख्या नये नम्बर	पंचायत निगरानी संख्या गत नम्बर
पंचायत निगरानी संख्या : 120 / 2024	पंचायत निगरानी संख्या : 40 / 2022
जी.सी.एम.एस. नम्बर : 2024 / 134	जी.सी.एम.एस. नम्बर : 2022 / 70

अनवान

प्रार्थी	अप्रार्थीगण
विकास अधिकारी बाली	1. सरपंच ग्राम पंचायत गुड़ालास 2. बाबुलाल पुत्र श्री लालजी जाति रावल ब्राह्मण निवासी रमणीया ग्राम पंचायत गुड़ालास तहसील बाली जिला पाली राज.

4.

पंचायत निगरानी संख्या नये नम्बर	पंचायत निगरानी संख्या गत नम्बर

अतिरिक्त जिला कलेक्टर

P.T.O.

Scanned with OKEN Scanner

पंचायत निगरानी याचिकाएँ उनवान विकास अधिकारी प.स. बाली बनाम सरपंच ग्राम पंचायत गुड़ालास व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

पंचायत निगरानी संख्या : 117 / 2024	पंचायत निगरानी संख्या : 37 / 2022
जी.सी.एम.एस. नम्बर : 2024 / 131	जी.सी.एम.एस. नम्बर : 2022 / 67

अनवान

प्रार्थी	अप्रार्थीगण
विकास अधिकारी बाली	1. सरपंच ग्राम पंचायत गुड़ालास 2. उम्मेदराम ,भाणाराम पुत्र श्री डायाजी जाति रावल निवासी रमणीया, ग्राम पंचायत गुड़ालास, तहसील बाली जिला पाली राज.

5.

पंचायत निगरानी संख्या नये नम्बर	पंचायत निगरानी संख्या गत नम्बर
पंचायत निगरानी संख्या : 119 / 2024	पंचायत निगरानी संख्या : 39 / 2022
जी.सी.एम.एस. नम्बर : 2024 / 133	जी.सी.एम.एस. नम्बर : 2022 / 69

अनवान

प्रार्थी	अप्रार्थीगण
विकास अधिकारी बाली	1. सरपंच ग्राम पंचायत गुड़ालास 2. दलपतराम पुत्र बाबुलाल जाति रावल ब्राह्मण अध्यक्ष समस्त रावल ब्राह्मण समाज धर्मशाला, निवासी रमणीया, ग्राम पंचायत गुड़ालास तहसील बाली जिला पाली राज.

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बाली (पाली)

उपस्थिति :-

1. प्रार्थीगण स्वयं उपस्थित।
2. अप्रार्थी संख्या एक के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही (नये प्रकरण संख्या जी.सी.एम.एस. 2024 / 134, 2024 / 131, 2024 / 133, 2024 / 130 व 2024 / 132)
3. अप्रार्थी संख्या 02 की ओर से अधिवक्ता श्री गणपतसिंह राजपुरोहित (नये प्रकरण जी.सी.एम.एस. संख्या : 2024 / 132, 2024 / 130, 2024 / 134 व 2024 / 131)
4. अप्रार्थी संख्या 02 की ओर से अधिवक्ता श्री विरमदेवसिंह सोनीगरा (नये प्रकरण जी.सी.एम.एस. संख्या : 2024 / 133)

-:निर्णय:-

दिनांकः 17.10.2025

उपरोक्त वर्णित पांचो निगरानियां समान प्रार्थी (विकास अधिकारी, पंचायत समिति बाली) द्वारा समान पंचायत, ग्राम पंचायत गुड़ालास द्वारा निष्पादित भूमि विक्रय विलेखों के विरुद्ध प्रस्तुत होने से इन्हें एक साथ निर्णीत करने का निश्चय किया जाता है।

याचिकाकर्ता विकास अधिकारी बाली ने ग्राम पंचायत गुड़ालास द्वारा दिनांक 20.08.2009 को निष्पादित किये गये तीन भूमि विक्रय विलेखों (जी.सी.एम.एस. प्रकरण संख्या 2024 / 130,

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

P.T.O.

Scanned with OKEN Scanner

2024/132, 2024/134 को उपरोक्त पंचायत निगरानी याचिकाओं के माध्यम से समान आधारों पर चुनौति प्रस्तुत की है।

उक्त निगरानी याचिकाओं के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अप्रार्थीगण संख्या 02 को राजस्थान पंचायती राज नियम 1986 के नियम 157 (1) के तहत निष्पादित किये गये तीन भूमि विक्रय विलेख जो कि ग्राम पंचायत गुड़ालास के रमणीया आबादी भूमि पर जारी आलोच्य पट्टो की भूमि पर कोई निर्माण कार्य किया हुआ नहीं है, मौके पर उक्त भूमि केवल मात्र तारबंदी की हुई है। पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157 (1) में स्पष्ट प्रावधान है कि जहां व्यक्तियों के कब्जे में पुराने गृह हो और वे पंचायत से कोई पट्टा जारी करवाना चाहते हो वहां वे इन नियमों के लागु होने की तिथि को 50 वर्षों के दौरान पुराने मकान हेतु 200 रुपये वसूल कर पुराने गृहों का विनियमितिकरण किया जा सकता है, जबकि ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य पट्टो के निष्पादन में उक्त प्रक्रिया की पालना नहीं की गई है। आलोच्य पट्टो की मिसलों के अवलोकन पर गवाहों बयान में बयानकर्ता के हस्ताक्षर नहीं किये हुए है। अप्रार्थीगण संख्या 02 के नाम जारी भूमि विक्रय विलेख में जारी दिनांक 20.08.2009 अंकित है जबकि शूल्क दिनांक 20.09.2009 के द्वारा जमा किया हुआ है अर्थात पट्टा शूल्क जमा होने से पूर्व ही आलोच्य भूमि विक्रय विलेख निष्पादित कर दिये गये थे जो भी नियम विरुद्ध है। अतः निगरानी याचिकाएँ प्रस्तुत कर निवेदन है कि ग्राम पंचायत गुड़ालास द्वारा निष्पादित आलोच्य भूमि विक्रय विलेखों की वैधता, मौलिकता के सम्बन्ध में परीक्षण किया जाकर जैर आलोच्य पट्टो को निरस्त फरमावें।

शेष निगरानी याचिकाओं (जी.सी.एम.एस. प्रकरण संख्या 2024/133, 2024/131) के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अप्रार्थीगण संख्या 02 के पक्ष में राजस्थान पंचायती राज नियम 1961 के नियम 266 के तहत निष्पादित किये गये भूमि विक्रय विलेख में चुनौति दी गई है कि अप्रार्थी संख्या 02 को जारी पट्टा का अवलोकन करने पर पट्टा में दर्शायी चतुर्दर्शी से तो मिलान हो रहा है लेकिन पट्टा में अंकित नक्शा अनुसार मौके पर मिलान नही हो रहा है। यह भी कि ग्राम पंचायत में पट्टा से संबंधित मिशल दर्ज रजिस्टर, मिशल व बैठक कार्यवाही रजिस्टर उपलब्ध नहीं होना बताया है जिस कारण से भी उक्त विक्रय विलेख निरस्त योग्य है।

निगरानी याचिकाएँ दर्ज कर अप्रार्थीगण को ज़रिए सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या एक सरपंच ग्राम पंचायत गुड़ालास बावजुद सम्यक तामीली के अनुपस्थित रहने से उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही प्रभाव में लाई जाती है। पांचो पंचायत निगरानी याचिकाओं में अप्रार्थी संख्या दो के रुप में संयोजित पट्टाधारियों द्वारा ज़रिए अधिवक्ता उपस्थिति दी गई। निर्णयाधीन पांच पंचायत निगरानी याचिकाओं का मूल रिकॉर्ड पूर्व से शामिल मिसल है।

अप्रार्थीगण संख्या 02 ने विचाराधीन निगरानी याचिकाओं (जी.सी.एम.एस. नम्बर 2024/132, 2024/130 व 2024/134) में प्राथमिक आपत्ति मय जवाब पेश कर निवेदन किया कि:—

1. उपरोक्त निगरानी याचिकाओं में विकास अधिकारी बाली द्वारा आलोच्य भूमि विक्रय विलेखों को निरस्त करने हेतु पेश की है, जबकि विकास अधिकारी स्वयं ग्राम पंचायत द्वारा पारित आदेश का अपीलीय न्यायालय है जिसे ग्राम पंचायत द्वारा पारित आदेश पट्टा एवं संकल्प के विरुद्ध धारा 61 एवं 97ए के प्रावधानों के तहत अपील सुनवाई की अधिकारिता है।
2. पंचायत अधिनियम 1994 के प्रावधानों में ग्राम पंचायत द्वारा पारित आदेश व पट्टे के सम्बन्ध में निगरानी करने की विकास अधिकारी को शक्तियां नहीं दी गई है।
3. उपरोक्त निगरानी याचिकाएँ आलोच्य भूमि विक्रय विलेखों को निरस्त करने हेतु पेश की गई है। धारा 97 पंचायती राज अधिनियम के तहत ग्राम पंचायत द्वारा पारित संकल्प/आदेश के विरुद्ध ही निगरानी करने का प्रावधान है। स्वीकृत रुप से आलोच्य भूमि विक्रय विलेख ग्राम पंचायत द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.08.2009 व संकल्प संख्या

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर बाली (पाली)

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली जिला-पाली

P.T.O.

Scanned with OKEN Scanner

02 दिनांक 02.08.2009 की पालना में जारी किया गया है। जब तक उक्त आदेश एवं संकल्प अस्तित्व में है, उक्त पट्टे को निरस्त नहीं किया जा सकता है, न ही निगरानी पोषणीय है।

4. उक्त निगरानी याचिकाएँ भूमि विक्रय विलेख जारी होने के 13 वर्षों बाद विलम्ब का कारण दर्शाए बिना पेश की है, जबकि निगरानी पर्याप्त समय में ही की जानी चाहिए। प्रार्थी का निगरानी में यह कथन नहीं है कि पूर्व में उक्त पट्टे की जानकारी नहीं रही थी, इस कारण से विलम्ब के आधार पर ही निगरानी खारिज योग्य है। पर्याप्त समय क्या होगा, वह प्रत्येक मुकदमें की परिस्थितियों पर निर्भर करता है लेकिन 13 साल की अवधि के विलम्ब को माफ नहीं किया जा सकता है।

अप्रार्थीगण संख्या 02 के अधिवक्ता ने निगरानी याचिकाओं (जी.सी.एम.एस. नम्बर 2024 / 132, 2024 / 130 व 2024 / 134) का पदानुसार जवाब पेश कर निवेदन किया कि:–

1. निगरानी कि पद संख्या 1 (क) में वर्णित तथ्य जिस तरह दर्ज किये है, गलत होने से अस्वीकार है। जिस समय आलोच्य पट्टे जारी किये गये थे, उस समय मौके पर कच्चा केलुपोश मकान करीब 50 वर्षों से अधिक पुराना बना हुआ था जिसमें अप्रार्थी व उसके पूर्वजों का रहवास रहा है चूंकि मकान कच्चा एवं अत्यधिक पुराना होने से जीर्णशीर्ण हो चुका है तथा वर्ष 2017 में अप्रार्थी के समाज का विशाल स्तर पर सामूहिक विवाह का आयोजन समाज द्वारा किया गया था, उस समय उपरोक्त पट्टे व आस पास की खाली भूमि पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। आयोजको के निवेदन पर अप्रार्थीगण का कच्चा केलूपोश मकान जो अत्यधिक पुराना होने से पूर्णतः क्षतिग्रस्त हो चुका था, इसलिए अप्रार्थी की सहमति से मकान हटा दिया था तथा यही पर टेन्ट इत्यादि लगाकर सामूहिक विवाह का आयोजन किया था। प्रमाण में पुराने मकान का फोटो, विवाह पत्रिका तथा कार्यक्रम के फोटोग्राफ्स साथ पेश है, इसलिए प्रार्थी का यह कथन कि मौके पर निर्माण नहीं था, उक्त कथन पूर्णतः गलत है। आलोच्य भूमि विक्रय विलेख जारी होने के 12–13 वर्षों बाद पेश की है। न्यायालय को यह देखना है कि मौके पर पट्टा जारी करते समय मकान था अथवा नहीं। उपरोक्त प्रकरण में वर्ष 2009 की मौके स्थिति बाबत निगरानी में एक शब्द भी नहीं है। विधितः उक्त भूमि विक्रय विलेख पुराने गृहों के विनियमितिकरण के तहत ही पुराने गृह होने से जारी किये गये थे।

2. पद संख्या 1 (ख) में वर्णित तथ्यों का उत्तर है कि बयान पर गवाहों के हस्ताक्षर नहीं होने से ग्राम पंचायत की कार्यवाही, आदेश व पट्टा स्वतः अवैध नही हो जाते है। तकनीकी बिन्दु पर किसी भी व्यक्ति के वैधानिक अधिकारों को समाप्त नहीं किया जा सकता है। नियम 157 के तहत पट्टा जारी करने हेतु किसी भी गवाह की पंचायत अधिनियम के तहत आवश्यकता नहीं रहती है, न ही ऐसे कोई प्रावधान या नियम है इस बाबत समय समय पर नियम 157 को संशोधित किया गया है। गवाह के बयान पर हस्ताक्षर नहीं होना, नाम दर्ज नहीं होना अनियमितता हो सकती है लेकिन अवैधानिकता नहीं है तथा पंचायत की कार्यवाही में कोई कमी रखी जाती है तो उसका दण्ड पट्टाधारी को नहीं दिया जा सकता है। इस कारण भी निगरानी याचिकाएँ खारिज योग्य है।

3. उक्त पद संख्या 1 ग में वर्णित तथ्य को अनियमितता माना जा सकता है न कि अवैधानिकता। पट्टो की राशि ग्राम पंचायत में जमा हुई है। पट्टो की दिनांक 20.08.2009 दर्ज होने तथा राशि दिनांक 20.09.2009 को जमा होने से क्या अवैधानिकता हुई है, इस बाबत् प्रार्थी ने निगरानी में एक शब्द भी नहीं लिखा है। उक्त राशि पूर्व में या पश्चात जमा होने से पंचायती कार्यवाही, आदेश, प्रस्ताव अवैध नही हो जाता है। विधिक रुप से पट्टा तो पंचायत के आदेश व प्रस्ताव की पालना में जारी किया गया है। तथा जारी किया जाता है, इस कारण भी निगरानी पोषणीय नहीं है। अतः प्राथमिक

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला पाली

P.T.O.

Scanned with OKEN Scanner

आपत्ति मय जवाब पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी की उक्त निगरानी याचिकाए मय खर्चा खारिज फरमावें।

अप्रार्थीगण संख्या 02 ने विचाराधीन निगरानी याचिकाओं (प्रकरण संख्या जी.सी.एम.एस. 2024/131) में प्राथमिक आपत्ति मय जवाब पेश कर निवेदन किया किः–

1. उपरोक्त निगरानी याचिकाओं में विकास अधिकारी बाली द्वारा आलोच्य भूमि विक्रय विलेखों को निरस्त करने हेतु पेश की है, जबकि विकास अधिकारी स्वयं ग्राम पंचायत द्वारा पारित आदेश का अपीलीय न्यायालय है जिसे ग्राम पंचायत द्वारा पारित आदेश पट्टा एवं संकल्प के विरुद्ध धारा 61 एवं 97ए के प्रावधानों के तहत अपील सुनवाई की अधिकारिता है।
2. पंचायत अधिनियम 1994 के प्रावधानों में ग्राम पंचायत द्वारा पारित आदेश व पट्टे के सम्बन्ध में निगरानी करने की विकास अधिकारी को शक्तियां नहीं दी गई है।
3. उपरोक्त निगरानी याचिकाएँ आलोच्य भूमि विक्रय विलेखों को निरस्त करने हेतु पेश की गई है। धारा 97 पंचायती राज अधिनियम के तहत ग्राम पंचायत द्वारा पारित संकल्प/आदेश के विरुद्ध ही निगरानी करने का प्रावधान है। स्वीकृत रुप से आलोच्य भूमि विक्रय विलेख ग्राम पंचायत द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.12.1989 व संकल्प संख्या 04 दिनांक 17.12.1989 की पालना में जारी किया गया है। जब तक उक्त आदेश एवं संकल्प अस्तित्व में है, उक्त पट्टे को निरस्त नहीं किया जा सकता है, न ही निगरानी पोषणीय है।
4. उक्त निगरानी याचिकाएँ भूमि विक्रय विलेख जारी होने के 32–33 वर्षों बाद विलम्ब का कारण दर्शाए बिना पेश की है, जबकि निगरानी पर्याप्त समय में ही की जानी चाहिए। प्रार्थी का निगरानी में यह कथन नहीं है कि पूर्व में उक्त पट्टे की जानकारी नहीं रही थी, इस कारण से विलम्ब के आधार पर ही निगरानी खारिज योग्य है। पर्याप्त समय क्या होगा, वह प्रत्येक मुकदमें की परिस्थितियों पर निर्भर करता है लेकिन 32–33 साल की अवधि के विलम्ब को माफ नहीं किया जा सकता है।

अप्रार्थीगण संख्या 02 के अधिवक्ता ने निगरानी याचिका (प्रकरण संख्या जी.सी.एम.एस. 2024/131) का पदानुसार जवाब पेश कर निवेदन किया किः–

1. निगरानी कि पद संख्या 1 (क) में वर्णित तथ्य जिस तरह दर्ज किये है, गलत होने से अस्वीकार है। उपरोक्त पट्टो में वर्णित नाप व भूजाओं का मौके पर उपलब्ध परिसर का कभी भी नाप चौक किया गया, न ही ऐसे किसी नाप चौक से पूर्व अप्रार्थी को नोटीस दिया गया या सूचित किया गया है। एक पक्षीय रिपोर्ट को किसी प्रकरण का आधार नही बनाया जा सकता है। मौके पर पट्टे में वर्णित नाप व क्षेत्रफल अनुसार परिसर उपलब्ध है, जिस बाबत सीमांकन रिपोर्ट दिनांक 23.07.2019 की प्रति सलंग्न है मौके पर अप्रार्थी संख्या दो पट्टा जारी होने के पूर्व से काबिज है तथा निर्मित परिसर है।
2. ख. उक्त पद में वर्णित तथ्यों का अक्षर अक्षर गलत होने से अस्वीकार है। उक्त विवाद समाज के एक वर्ग विशेष समूह द्वारा पैदा किया गया है। मौके पर कोई रास्ता न तो बाधित हुआ है, न ही बाधित हो रहा है तथा इस सम्बन्ध में मौके का नाप व सीमांकन हो रखा है तथा इस बाबत दलपतराज द्वारा अप्रार्थीगण के पट्टे के सम्बन्ध में धारा 420, 467, 471, 120 बी आई.पी.सी. के तहत किये गये मुकदमे के बाद अनुसंधान प्रकरण को झूठा मानकर तथा पट्टे को सही मानकर अदमवकू झूठ में एफ.आर. न्यायालय में पेश की है। इससे भी स्पष्ट है कि रास्ते का कोई विवाद नहीं है। मौके पर रास्ता उपलब्ध है। पट्टा ग्राम पंचायत द्वारा आबादी भूमि मे करीब 33–34 वर्ष पूर्व जारी किया गया है।
3. ग. उक्त पद में वर्णित तथ्यों का उत्तर है कि प्रार्थी ने निगानी में ग्राम पंचायत की मिसल, बैठक कार्यवाही रजिस्टर उपलब्ध नहीं होना बताया है तथा पट्टा में वर्णित राशि

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बाली (पाली)

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

P.T.O.

Scanned with OKEN Scanner

रुपये 177/– पंचायत कोष में जमा नही होना बताया गया है। उक्त तथ्यों का उत्तर है कि बैठक कार्यवाही रजिस्टर ग्राम पंचायत का महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है जिसमें ग्राम पंचायत की सभी बैठक व कार्यवाहियों का वर्णन होता है बैठक कार्यवाही रजिस्टर व मिसल उपलब्ध नहीं होना तथा अस्तित्व में नहीं होना में बहुत बड़ा अन्तर है। पुराना रिकॉर्ड नहीं मिलना अलग बात है एवं मिसल नहीं बनाया जाना अलग बात होती है। पट्टे में मिसल संख्या 64/1989–90 फैसल दिनांक 17.12.1990 दर्ज है, इसमें प्रथमदृष्टया ही उपधारणा की जायेगी, कि मिसल संधारित की गई थी तथा प्रस्ताव लिया गया था। उक्त दस्तावेज नष्ट हो गये या गायब हो गये, या चोरी हो गये, या नही मिल रहे है तो इसका दण्ड अप्रार्थी को नहीं दिया जा सकता है। ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड में मिसल व रजिस्टर नहीं मिलना इस बात का प्रमाण नही है कि ये संधारित नहीं किये गये है। पट्टे की राशि विधिनुसार जमा करवाई गई है। जो पंचायत द्वारा संधारित केशबुक में दर्ज है। इसलिए तत्समय की केशबुक को तलब करना आवश्यक है जिसके लिए अप्रार्थीगण निवेदन करते है।

4. घ. उक्त पद में वर्णित तथ्य उपरवर्णित पद संख्या 1 ग. में वर्णित तथ्यों की पुनरावृति है, जिसका सम्पूर्ण जवाब पद संख्या 1 ग. में दिया जा चुका है। ग्राम पंचायत का बैठक कार्यवाही रजिस्टर को जानबूझकर गायब किया गया है। बैठक कार्यवाही रजिस्टर में ग्राम पंचायत के सम्पूर्ण कार्यकाल की बैठकों का विवरण दर्ज किया जाता है इसलिए उक्त रजिस्टर ग्राम पंचायत का महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है उक्त दस्तावेज कब गायब हुआ, इस बाबत जांच रिपोर्ट मंगवाई जानी आवश्यक है। कि उक्त पट्टा पुराने पंचायत एक्ट के नियम 266 के तहत जारी किया गया है, जिस अनुसार पट्टा जारी करते समय मौके पर मकान होना आवश्यक नही है कब्जे के आधार पर भूखण्ड का पट्टा जारी करने बाबत कोई रोक नहीं है। कृपया 2022 (2) RRT 1287 का अवलोकन फरमावें।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बाली (पाली)

प्रकरण में अन्य कोई कार्यवाही शेष नहीं होने से उभयपक्षकारान् की बहस सुनने का निश्चय किया गया। प्रार्थीपक्ष एवं अप्रार्थीगण द्वारा याचिकापत्रों तथा जवाबपत्रों में अंकित कथनों को वक्त बहस दोहराया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं मूल रिकॉर्ड का गहनतापूर्वक अवलोकन किया गया।

पंचायत निगरानी प्रकरण नवीन जी.सी.एम.एस. संख्या 2024/130, 2024/132 एवं 2024/134 (पुराने नम्बर 36/2022, 38/2022 एवं 40/2022) में चुनौति दिए गए तीनों भूमि विक्रय विलेख संख्या क्रमशः 29, 28 एवं 27 ग्राम पंचायत गुड़ालास द्वारा ज़रिए संकल्प संख्या 02 दिनांक 20.08.2009 के अनुक्रम में क्रमश अप्रार्थीगण सर्व श्री भानुशंकर, उम्मेदमल एवं बाबुलाल के पक्ष में निष्पादित किये गए है। उपरोक्त तीनों भूमि विक्रय राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157 (1) के प्रावधानान्तर्गत निष्पादित किया जाना मूल रिकॉर्ड से प्रमाणित है, जबकि इस सम्बन्ध में निगरानीकर्ता प्रार्थी विकास अधिकारी का मूल आक्षेप यह है कि उपरोक्त पट्टा विलेखों से सम्बन्धित भूमि पर कोई निर्माण नहीं है एवं खाली भूमि पर 'पुराने गृहों का विनियमितिकरण दर्शाकर ग्राम पंचायत द्वारा अवैधानिक रुप से नियम 157 के अन्तर्गत प्रश्नगत भूमि का विक्रय किया गया है। उपरोक्त आक्षेप के सम्बन्ध में अप्रार्थीगण ऐसा कोई ठोस दस्तावेज या साक्ष्य प्रस्तुत करने में असफल रहे है जो यह सिद्ध करने में सहायक हो कि ग्राम पंचायत बैठक में संकल्प संख्या 02 दिनांक 20.08.2009 पारित करने के समय प्रश्नगत भूखण्डों पर अप्रार्थीगण का नियम 157 (1) में विहित अवधि का आबाद रहवासी कब्जा था। यहाँ तक कि मूल मिसल संख्या 48, 47 एवं 46/ 82–83 में भी ग्राम पंचायत द्वारा ऐसे रहवासी कब्जे की जांच हेतु पड़ौसियों या अन्य सम्बन्द्ध व्यक्तियों के बयान इत्यादि भी दर्ज नहीं किए गए है। अर्थात पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एवं मूल मिसल पत्रावलियों में ऐसा कोई दस्तावेज

अतिरिक्त जिला कलक्टर
बाली, जिला-पाली

P.T.O.

Scanned with OKEN Scanner

उपलब्ध नहीं है जो यह उपधारणा करने में सहायक हो कि प्रश्नगत संकल्प संख्या 02 दिनांक 20.08.2009 पारित करते समय उपरोक्त तीनों भूखण्डों पर अप्रार्थीगण का कोई गृह या मकान निर्मित हो।

जहाँ तक वैधानिक प्रक्रिया का प्रश्न है तो यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि उपरोक्त तीनों मिसल पत्रावलियों में सलंग्न आपत्ति इश्तिहार पर न तो चस्पानगी का स्थल अंकित है और न ही राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 148 में यथाउपबन्धित चस्पानगी की पुष्टि हेतु दो व्यक्तियों के हस्ताक्षर ही अंकित है। यद्यपि दिनांक 20.08.2009 को निष्पादित उपरोक्त तीनों विक्रय विलेखों के सम्बन्ध में प्रार्थी निगरानीकर्ता का पट्टा शुल्क सम्बन्धि आक्षेप स्वीकार योग्य नहीं पाया गया क्यों कि प्रश्नगत पट्टा विलेखों पर अंकित रसीद क्रमांक व दिनांक से यह सिद्ध हो जाता है कि अप्रार्थीगण द्वारा निर्धारित पट्टाशुल्क अदा कर दी गई थी।

इस प्रकार दस्तावेजी आधार पर स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत गुड़ालास द्वारा मिसल संख्या 48, 47 एवं 46/82—83 के सम्बन्ध में पारित संकल्प संख्या 02 दिनांक 20.08.2009 तथा उसके अनुक्रम में निष्पादित पट्टा विलेख संख्या क्रमशः 29, 28 एव 27 खाली भूखण्डो का अवैधानिक रुप से पूर्वोक्त नियम 157 (1) के अन्तर्गत विक्रय किया गया जबकि निलामी अथवा नियम 156 के प्रावधान्तर्गत डी.एल.सी. दर पर विक्रय करना श्रेयस्कर था।

अतः निगरानी याचिका जी.सी.एम.एस. संख्या 2024/130, 132 एव 134 स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत गुड़ालास द्वारा मूल मिसल संख्या 48,47 एवं 46/82—83 में पारित संकल्प संख्या 02 दिनांक 20.08.2009 तथा उसके अनुक्रम में निष्पादित भूमि विक्रय विलेख संख्या क्रमशः 29, 28 एवं 27 बज़तरफ सर्व श्री भानुशंकर, उम्मेदमल एवं बाबुलाल को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण ग्राम पंचायत को पुनर्प्रेषित कर निर्देश दिए जाते है कि प्रकरणों की पुनः जाँच करें एवं उपरोक्त तीनों भूखण्डों पर अन्य किसी व्यक्ति का वैधानिक दावा प्रमाणित नहीं पाया जाए, तो राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 156 के प्रावधानारुप डी.एल.सी. दर पर राशि वसूल कर अप्रार्थीगण को विक्रय करने हेतु ग्राम पंचायत स्वतन्त्र है।

जहाँ तक पंचायत निगरानी जी.सी.एम.एस. संख्या 2024/131 (पुराना प्रकरण संख्या 37/2022) एवं 2024/133 (गत संख्या 39/2022) का प्रश्न है, तो निगरानीकर्ता द्वारा वर्ष 1986 एवं 1990 में निष्पादित दो भूमि विक्रय विलेखों की वैधता को मुख्यतः इस आधार पर चुनौति दी गई है कि प्रश्नगत दोनों विलेखों से सम्बन्धित भूमि को पट्टे एवं वर्तमान मौके की स्थिति मेल नहीं खाती है तथा मौका स्थिति अनुसार वर्तमान में उक्त पट्टा विलेखों से सम्बन्धित भूमि में रास्ते की भूमि का कुछ भाग बाधित होता है। निगरानीकर्ता प्रार्थी द्वारा यह भी आक्षेपित किया गया है कि चूंकि उपरोक्त दोनों भूमि विक्रय विलेखों से सम्बन्धित पूर्ण मूल रिकॉर्ड ग्राम पंचायत में उपलब्ध नहीं है, अतः उक्त दोनों विलेख फ़र्जी है।

निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत पूर्वोक्त दोनों निगरानी याचिकाओं के साथ कोई जांच रिपोर्ट या तथ्यात्मक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गए। अप्रार्थीगण श्री उम्मेदराम व भाणाराम द्वारा निगरानी संख्या जी.सी.एम.एस. 2024/131 में लिखित आपत्ति के साथ पंचायत प्रसार अधिकारी प.स. बाली द्वारा इसी प्रकरण के सम्बन्ध में वर्ष 2019 में की गई जाँच की प्रतिलिपि संलग्न प्रस्तुत की गई, जिसमें प्रार्थी द्वारा निगरानी याचिकाओं में उठाए गए आक्षेप प्रमाणित नहीं पाए जाते है। उक्त जाँच स्वयं प्रार्थी विकास अधिकारी के आदेश क्रमांक 2201 दिनांक 21.08.2019 तथा 2300 दिनांक 27.08.2019 पर पंचायत प्रसार अधिकारी के द्वारा किया जाना अंकित है। किन्तु इसके उपरान्त भी प्रार्थी विकास अधिकारी द्वारा बिना किसी ठोस दस्तावेज व तथ्यात्मक आधार के एवं लगभग 30 वर्षो के असामान्य विलम्ब के उपरान्त उपरोक्त दोनों निगरानी याचिकाएं न्यायालय हाजा में पेश की गई है।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर बाली (पाली)

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

P.T.O.

Scanned with OKEN Scanner

पंचायत निगरानी याचिकाएँ उनवान विकास अधिकारी प.स. बाली बनाम सरपंच ग्राम पंचायत गुड़ालास व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

सर्वप्रथम तो तीस–बत्तीस वर्षों के विलम्ब उपरान्त मौके की स्थिति में परिवर्तन आना स्वभाविक है एवं प्रार्थी द्वारा जिस रास्ते की भूमि का आक्षेप लिया गया है उक्त रास्ते की भूमि सम्बन्धि पंचायत का कोई रिकॉर्ड या मौके के फोटोग्राफ्स आदि भी प्रार्थी द्वारा सलंग्न प्रस्तुत नहीं किये गए है। इसके अतिरिक्त पुलिस अनुसन्धान एवं पंचायत प्रसार अधिकारी की जाँच रिपोर्ट में भी उपरोक्त आक्षेपों की पुष्टि नहीं की गई। निगरानी याचिकाओं में कथन मात्र अंकित कर दिए जाने से एवं उनकी पुष्टि में किसी ठोस दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए बिना प्रश्नगत उपरोक्त दोनो पट्टा विलेखों के विरुद्ध प्रार्थी द्वारा उठाए गए आक्षेप स्वीकार नहीं किए जा सकते। **न्याय का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि वादपत्र/याचिका में अंकित कथनों को दस्तावेजी व तथ्यात्मक आधार पर प्रमाणित सिद्ध करने का दायित्व स्वयं प्रार्थी अथवा याची पर होता है।**

प्रार्थी का यह तर्क भी स्वीकार योग्य नहीं है कि उपरोक्त दोनों पट्टा विलेखों से सम्बन्धित मूल रिकॉर्ड ग्राम पंचायत में उपलब्ध नहीं होने के आधार पर उक्त विलेख फर्जी है। सर्वप्रथम तो ग्राम पंचायत में रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं होने के आधार पर यह एकमात्र उपधारणा नहीं की जा सकती है कि प्रश्नगत पट्टा विलेखों का रिकॉर्ड कायम ही नहीं हुआ। सम्भव है कि मूल रिकॉर्ड गुम हो गया हो अथवा गायब कर दिया गया हो। किन्तु स्थिति चाहे जो भी हो, सर्वप्रथम तो यह ग्राम पंचायत का दायित्व है कि अपने रिकॉर्ड को सुरक्षित ढंग से संधारित व संरक्षित रखें तथा यदि ग्राम पंचायत अपने इस दायित्व निर्वहन में असफल रही है, तो इसकी सजा अप्रार्थीगण को नहीं दी जा सकती।

अतः निगरानी याचिका प्रकरण संख्या 2024/131 एवं 2024/133 (गत प्रकरण संख्या 37/2022 एवं 39/2022) ठोस दस्तावेजी साक्ष्यों के अभाव में खारिज की जाती है। किन्तु प्रार्थी विकास अधिकारी प.स. बाली को यह निर्देश दिए जाते है कि निर्णय की तिथि से एक माह के भीतर अप्रार्थीगण को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करते हुए दोनों प्रकरणों की पुनः विस्तृत जाँच करें एवं जाँच में अवैधानिकता सिद्ध पाए जाने पर राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 61 के प्रावधानान्तर्गत अपील कर कार्यवाही प्रभाव में लाए।

यह निर्णय भूमि विक्रय विलेख संख्या 12 दिनांक 05.09.1986 तथा विलेख संख्या 49 दिनांक 21.12.1990 की वैधता व प्रमाणिकता की पुष्टि के रुप में नहीं माना जाए।

निर्णय आज दिनांक **17.10.2025** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया गया। निर्णय पाँच प्रतियों में जारी होकर प्रत्येक याचिका के साथ नत्थीबद्ध किया जाए। अधीनस्थ पंचायत द्वारा प्रेषित मूल रिकॉर्ड लौटाया जाए।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बाली (पाली)

(शैलेन्द्र सिंह)
R.A.S
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
बाली

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली जिला पाली